लोकोपकार

विशेषज्ञों ने संभाली कमान

गैर-लाभकारी, जन कल्याण से जुड़ी गतिविधियों के प्रबंधन के बदल रहे हैं तौर-तरीके

अमेरिका में लोगों द्वारा की जाने वाली परोपकारी गतिविधियों की विविधता का दायरा प्रभावित करने वाला है। निश्चित तौर पर, अनौपचारिक और बिना किसी पूर्व तैयारी के की जाने वाली स्वयंसेवा और लोकोपकार उत्साहवर्धक गति से होता रहता है। लोकोपकार का काम इस सीमा तक विकसित हो गया है कि कई दानदाता संस्थाएं और फाउंडेशनों का प्रबंधन पेशेवर कर्मचारियों द्वारा होता है, जो इस काम से जुड़े विशेष मामलों में प्रशिक्षित होते हैं।

● स्वयंसेवकों को आकर्षित करना, उनका प्रबंधन करना, प्रशिक्षण देना और उन्हें धन्यवाद देना -ये काम निपटाये जाते हैं स्वयंसेवा के प्रशासकों के द्वारा, जो विशेष पेशेवर संगठनों के सदस्य हो सकते हैं या अपने काम से जुड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञता के प्रमाणपत्र या कॉलेज की डिग्रियों के धारक होते हैं। *नॉनप्रॉफिट मैनेजमेंट एजुकेशन- करंट ऑफरिंग्स इन यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम्स* के अनुसार 2002 में करीब 255 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने गैर-लाभ कामकाज के प्रबंधन में ग्रेजुएट या अंडरग्रेजुएट कोर्स उपलब्ध कराए थे।

● दान से जुड़े कामों के लिए पैसे के हस्तांतरण की कला और विज्ञान खासा परिष्कृत हो गया है। आवेदक के लिए भी, जो अनुदान का प्रस्ताव तैयार करता है, रकम हासिल करता है और अपनी गतिविधियों पर रिपोर्टें तैयार करता है। और उस प्रतिष्ठान के लिए भी, जो आवेदक के प्रस्तावों को प्राप्त करता है, उनका मूल्यांकन करता है, अनुदान पर नजर रखता है और आखिर में अपने निदेशक मंडल, दानदाताओं और रुचि रखने वाले दूसरे पक्षों को रिपोर्ट पेश करता है।

● दानदाता और धर्मादा संस्थाएं इस बात में बहुत दिलचस्पी दिखाती हैं कि धर्मादा संस्थाएं किस तरह से उनके पैसे को बरत रही हैं और खास तौर पर वे उन परिणामों में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं जो ऐसी संस्थाएं पेश करती हैं और उस सरोकार में भी, जिसके साथ वे संसाधनों का प्रबंधन करती हैं। पर्यवेक्षण समूह इस आधार पर धर्मादा संस्थाओं का मूल्यांकन करते हैं कि प्रशासनिक खर्चों में लगी रकम के मुकाबले जिन समूहों की सेवा की जानी है, उनके पास रकम का कितना प्रतिशत पहुंचा। काफी कुछ ऐसे मूल्यांकनों के आधार पर ही दानदाता धर्मादा संस्थाओं को मदद देने के फैसले करते हैं। जाहिर है कि रिपोर्टिंग के तौर-तरीके भी ऊपर वर्णित सारे पक्षों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

कई तरीके से गैर-लाभ प्रबंधन का क्षेत्र स्व-नियंत्रणकारी हो गया है। फाउंडेशन और धर्मादा संस्थाएं परिणामों और प्रशासनिक गतिविधियों के आधार पर वित्तीय और दूसरी रिपोर्टें तैयार करती हैं। काउंसिल ऑन फाउंडेशन्स और सेंटर फॉर फाउंडेशन्स जैसे संगठन फिर इस सूचना का प्रयोग विस्तृत रिपोर्ट बनाने में करते हैं। दूसरे समूह धर्मादा संस्थाओं का मूल्यांकन उनके कामकाज के आधार पर करते हैं। अमेरिकी सरकार मुख्यत: सरकारी कर संग्राहक- आंतरिक राजस्व सेवा (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस- आईआरएस) के जरिये गैर-लाभ प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाती है।

कर-मुक्त स्थिति: एक गैर-लाभकारी समूह या व्यक्ति 501(सी)(3) के नाम से जानी जाने वाली विशेष सरकारी स्थिति की पात्रता के लिए कदम उठा सकता है। इस स्थिति का मतलब है कि धर्मादा संस्था सरकारी निरीक्षण प्रक्रिया से गुजर चुकी है और कर-मुक्त वर्ग में घोषित की जा चुकी है। 501(सी) (3) के

फिनीक्स, एरिजोना में साल्वेशन आर्मी के लेफ्टिनेंट डॉन मेवोरी क्रेडिट कार्ड से चंदा स्वीकार करते हुए। अमेरिका में स्वीकृत चैरिटी संस्थानों को दी गई मदद को कर से मुक्त रखा जाता है जिससे कि लोगों को ऐसा करने को प्रोत्साहन मिले।

तहत कर मुक्त घोषित होने का मुख्य फायदा यह है कि संगठन को मिलने वाला दान और सहायता दानदाता के कर में से कटौती के पात्र होंगे। इसके अलावा यह संगठन केंद्रीय और राज्य के कारपोरेट करों से भी मुक्त रहेगा। यह उन सार्वजनिक और निजी अनुदानों के लिए आवेदन कर सकता है, जो सिर्फ आईआरएस से मान्यता प्राप्त संगठनों के लिए उपलब्ध हैं। इस स्थिति से संभावित दानदाताओं और दूसरों की दृष्टि में संगठन की मान्यता बढ़ जाती है।

501 (सी) (3) संस्था के बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए एक गैर-लाभ संस्था के मुखिया इसे 'पीड़ा भरा पर मूल्यवान' बताते हैं। विस्तृत आवेदनों को पूरा करने में उसके समूह को अपने उप-नियमों को और अपने संगठन के अधिकारियों के नामों को समाहित करना पड़ा। उन्हें बहुत विस्तार से उन धर्मादा कामों के बारे में बताना पड़ा जिनमें वे लगे हुए थे। आखिर में उन्हें प्राप्त रकम पर कर रिपोर्ट भी दाखिल करनी पड़ी। इस आवेदन प्रक्रिया में एक वकील और एक लेखाकार की विस्तृत भूमिका थी। इस प्रक्रिया के जरिये आवेदन करने वाले आवेदकों के पथ-प्रदर्शन के लिए तैयार की गई एक पुस्तिका में इस प्रक्रिया के फायदे को इस तरह से बताया गया है- कई धर्मादा संस्थाएं विफल होती हैं। वे अपने चुने हुए कार्यों को करने के लिए आवश्यक रकम नहीं जुटा पाती हैं। विस्तृत आवेदन प्रक्रिया एक धर्मादा संस्था पर नियोजन, प्राथमिकता तय करने, मौजूद विकल्पों को स्पष्ट करने और उनकी तुलना करने और मूल्यांकन के लिए दबाव डालती है। ऐसा करने में जो परिणाम आते हैं, उनसे उन्हें न सिर्फ खुद को विशिष्ट धर्मादा संस्था बनाने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है।

नई धर्मादा संस्था की मुखिया इससे सहमत हैं। वह कहती हैं कि कि इस विशिष्ट स्थिति को हासिल करने की प्रक्रिया में उन्हें और उनके सहयोगियों को यह फैसला करना पड़ा कि उन्हें कारपोरेट स्वरुप अपनाना चाहिए या नहीं। किस शहर या राज्य की न्याय परिधि में आने के लिए पंजीकृत होना चाहिए। उन्हें सदस्यता आधारित संगठन होना चाहिए या नहीं, और उनके काम का दायरा और सीमाएं क्या होंगी। एक साल बाद, उनके समूह ने पाया कि इस होमवर्क के सुपरिणाम मिले हैं। इसने समूह का काम करना आसान बनाया। संभावित दानदाताओं को यह जानकर राहत मिलती है कि समूह 501(सी)(3) धर्मादा संस्था है और समूह की निश्चित घोषणाओं से दानदाताओं को समूह का उद्देश्य समझने और जानने में मदद मिलती है।

दानदाताओं के लिए कर-लाभ: आई आर एस की व्यवस्था के तहत करदाताओं-चाहे वे व्यक्ति हों या कारपोरेशन हों, को धर्मादा संगठनों को दी गई रकम पर कई तरह की छूटें दी जाती हैं (उदाहरण के लिए 501(सी)(3))के तहत आने वाले संगठन)। उन्हें सालाना आयकर की गणना में पूरी या आंशिक छूट दी जाती है। इस व्यवस्था से दान को बढ़ावा मिलता है। इससे रकम के हस्तांतरण पथ को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। स्वयंसेवी स्वयंसेवा स्थल पर भेजे गए सामग्री के परिवहन पर आने वाली लागत को भी काट सकते हैं और दूसरी सेवा से संबंधित लागतों को भी काट सकते हैं। उद्देश्य के अनुरूप इस तरह की कर छूटों से परोपकार को बढ़ावा मिलता है। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि आम तौर पर दानदाता या स्वयंसेवक के किसी जनकार्य में मदद के निर्णय में दूसरे कारक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। □

अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सूचना कार्यक्रम ब्यूरो से।

हेड थॉर्न © ए. -इस्टॉक फ़ोटो

संगठन

चैरिटी समूहों की मदद करने वाले

द काउंसिल ऑन फाउंडेशन्स सदस्यता आधारित संगठन है जिसमें 2000 से ज्यादा अनुदान देने वाले फाउंडेशन शामिल हैं और इनके कार्यक्रम पूरे विश्व में चलते हैं। काउंसिल दूसरी सेवाओं के अलावा अपने सदस्यों को और आम जनता को नेतृत्व विशेषज्ञता और कानूनी सेवाएं मुहैया कराती है और नेटवर्किंग के अवसर देती है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें-

http://www.cof.org/index.htm

फाउंडेशन सेंटर का उद्देश्य अमेरिकी परोपकार के बारे में जानकारी का विस्तार करके गैर-लाभकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सेंटर अमेरिकी परोपकार के बारे में जानकारियां इकठ्ठा करता है, उन्हे संगठित करता है और उनका प्रसार करता है। यह तमाम रुझानों पर जमीनी स्तर पर शोध में मदद करता है, शोध करवाता है, अनुदान-प्राप्त करने की प्रक्रिया से जुड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण देता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसकी वेबसाइट, इसके मुद्रित और इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों, पांच पुस्तकालयों-अध्ययन केंद्रों और सहयोगी संग्रहों के जरिये जनता की इसकी सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच हो। 1956 में स्थापित यह केंद्र अनुदान-प्राप्त करने वालों, अनुदान देने वालों, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं, मीडिया और सामान्य जनता की सेवा को समर्पित है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें-

http://www.fdncenter.org

अमेरिका में 60,000 छोटे फाउंडेशन हैं। ये पूरे तौर पर स्वयंसेवी बोर्डों या कुछ कर्मचारियों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। देश के कुल फाउंडेशनों द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का करीब आधा हिस्सा इन्ही फाउंडेशनों द्वारा दिया जाता है जिनसे पूरे देश के हजारों समूहों को वित्तीय मदद मिलती है। द एसोसिएशन ऑफ स्माल फाउंडेशन्स की शुरुआत दस साल पहले हुई थी और इसका विकास तेजी से हुआ है और यह देश में लोकोपकार का मुख्य सदस्यता संगठन बन गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें-

http://www.smallfoundations.org

द नेशनल काउंसिल ऑफ नॉनप्रॉफिट एसोसिएशन्स राज्य और क्षेत्रीय गैर-लाभ संगठनों का नेटवर्क है। यह अमेरिका के पैंतालीस राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्थित 22,000 सदस्यों की सेवा कर रहा है। काउंसिल स्थानीय संगठनों की राष्ट्रीय पहुंच राज्य एसोसिएशनों के जरिये संभव बनाती है और छोटे और मंझोले आकार के गैर-लाभकारी संगठनों की मदद करती है। यह संस्था ज्यादा प्रभावकारी ढंग से प्रबंधन और नेतृत्व करती है, सहयोग करती है और समाधान का आदान-प्रदान करती है। यह इस क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण नीति-विमर्श में शामिल होती है और अपने क्षेत्र के समुदायों पर ज्यादा प्रभाव बनाती है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें-

http://www.ncna.org/

इंडियाना यूनिवर्सिटी सेंटर आन फिलांथ्रोपी (इंडियापोलिस के इंडियाना विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित) गैर-लाभ प्रबंधन और लोकोपकार अध्ययन में मास्टर डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध करती है। केंद्र फिलांथ्रोपी मैटर्स नामक जर्नल भी प्रकाशित करता है। 2005 में केंद्र ने कैलिफोर्निया स्थित द फाउंडेशन इनक्यूबेटर के साथ सहयोग करना शुरू किया। इसका उद्देश्य परोपकार के क्षेत्र में नई शुरुआत करने वालों को सहयोग देना था। इसने नए फाउंडेशनों और नए परोपकारियों को सहयोग दिया जो गैर-लाभ के क्षेत्र में कदम रख रहे थे। फिलांथ्रोपिक सेंटर के दफ्तर कैलिफोर्निया और इंडियाना में हैं। यह केंद्र परोपकार के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा सेवाएं मुहैया कराता है। और अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है -

http://www.philanthropy.iupui.edu/mpa.html

मिलानो न्यू स्कूल फॉर मैनेजमेंट एंड अर्बन पॉलिसी एक नए संस्थान का हिस्सा है। यह स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क सिटी में है। मिलानो गैर-लाभ प्रबंधन डिग्री कार्यक्रम मुहैया करता है, इसका फोकस पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर है-गैर लाभ क्षेत्र (इतिहास, भूमिकाएं, और वर्तमान संदर्भ), विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल, गैर-लाभ क्षेत्र में प्रबंधन और नेतृत्व, गैर-लाभ क्षेत्र की वित्त व्यवस्था और गैर-लाभ क्षेत्र का संसाधन प्रबंधन। ज्यादा जानकारी के लिए देखें -

http://www.newschool.edu/milano/